

adm-crcbhopal < adm-crcbhopal@gov.in >

## Fwd: Letters regarding UDID

Narendra Kumar < adm-crcbhopal@gov.in >

Mon, 02 Mar 2026 9:07:45 AM +0530

To "cmhobar"<cmhobar@mp.nic.in>,"cmhoch" <cmhoch@mp.nic.in>,"cmhodam" <cmhodam@mp.nic.in>,"cmhogun"<cmhogun@mp.nic.in>,"cmhokhd" <cmhokhd@mp.nic.in>,"cmhoraj"<cmhoraj@mp.nic.in>,"cmhosin" <cmhosin@mp.nic.in>,"cmhovid"<cmhovid@mp.nic.in>

Cc "CRC Bhopal"<crcbhopal-nihh@ayjnihh.nic.in>

PFA

==== Forwarded message =====  
From: Qutubuddin Neyazi <[smqncrcbhopal@gmail.com](mailto:smqncrcbhopal@gmail.com)>  
To: "Narendra Kumar" <[adm-crcbhopal@gov.in](mailto:adm-crcbhopal@gov.in)>  
Date: Mon, 23 Feb 2026 15:42:55 +0530  
Subject: Letters regarding UDID  
==== Forwarded message =====

Respected Sir,

attached letters are to be sent to the respective districts.

The e-mail ids are as follows -

1. [cmhobar@mp.nic.in](mailto:cmhobar@mp.nic.in) - Barwani
2. [cmhoch@mp.nic.in](mailto:cmhoch@mp.nic.in) - Chhatarpur
3. [cmhodam@mp.nic.in](mailto:cmhodam@mp.nic.in) - Damoh
4. [cmhogun@mp.nic.in](mailto:cmhogun@mp.nic.in) - Guna
5. [cmhokhd@mp.nic.in](mailto:cmhokhd@mp.nic.in) - Khandwa
6. [cmhoraj@mp.nic.in](mailto:cmhoraj@mp.nic.in) - Rajgarh
7. [cmhosin@mp.nic.in](mailto:cmhosin@mp.nic.in) - Singrauli
8. [cmhovid@mp.nic.in](mailto:cmhovid@mp.nic.in) - Vidisha

Thank you.

### 8 Attachment(s)

VIDISHA.pdf

471.4 KB

RAJGARH.pdf

478.2 KB

CHHATARPUR.pdf

SINGRULI.pdf

479.6 KB

473.8 KB

DAMOH.pdf

474.9 KB

BARWANI.pdf

474.4 KB

KHANDWA.pdf

478.2 KB

GUNA.pdf

474.3 KB

**Qutubuddin Neyazi < smqncrcbhopal@gmail.com >**

Mon, 23 Feb 2026 3:43:19 PM +0530

To "Narendra Kumar"&lt;admn-crcbhopal@gov.in&gt;

Respected Sir,

attached letters are to be sent to the respective districts.

The e-mail ids are as follows -

1. [cmhobar@mp.nic.in](mailto:cmhobar@mp.nic.in) - Barwani
2. [cmhoch@mp.nic.in](mailto:cmhoch@mp.nic.in) - Chhatarpur
3. [cmhodam@mp.nic.in](mailto:cmhodam@mp.nic.in) - Damoh
4. [cmhogun@mp.nic.in](mailto:cmhogun@mp.nic.in) - Guna
5. [cmhokhd@mp.nic.in](mailto:cmhokhd@mp.nic.in) - Khandwa
6. [cmhoraj@mp.nic.in](mailto:cmhoraj@mp.nic.in) - Rajgarh
7. [cmhosin@mp.nic.in](mailto:cmhosin@mp.nic.in) - Singrauli
8. [cmhovid@mp.nic.in](mailto:cmhovid@mp.nic.in) - Vidisha

Thank you.

**8 Attachment(s)**

VIDISHA.pdf

471.4 KB

RAJGARH.pdf

478.2 KB

CHHATARPUR.pdf

479.6 KB

SINGRULI.pdf

473.8 KB

DAMOH.pdf

474.9 KB

BARWANI.pdf

474.4 KB

KHANDWA.pdf

478.2 KB

GUNA.pdf

474.3 KB

सन्दर्भ संख्या : CRC-B/III-2(O)(ii)/UDID/20259E-46547)/ 632  
प्रति

दिनांक : 23.02.2026

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला : गुना (म.प्र.)

**विषय : -** यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने बाबत

**महोदय,**

कृपया दिनांक 11 फरवरी 2026 को आपको भेजे गए ई-मेल का अवलोकन करें जिसमें आपके जिले में संबन्धित दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित पत्र भी जारी किए हैं :

1. डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ. मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र (प्रति संलग्न)।
2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र दिनांक 27 जनवरी 2026 (प्रति संलग्न)
3. आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 02 फरवरी 2026 (प्रति संलग्न)

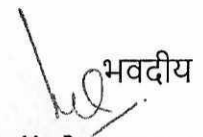
हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि संलग्न पत्रों के संदर्भ में आपके जिले में लंबित यूडीआईडी कार्ड के निस्तारण की प्रक्रिया में शीघ्र कार्यवाही करें। संदर्भित पत्रों में आपको आपके जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता को सटढ़ करने के लिए समीपस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों की सेवाएँ अथवा निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी सेवाएँ लेने हेतु भी निर्देशित किया गया।

साथ ही आपसे अनुरोध है कि सीआरसी - भोपाल और एनआईएमएचआर - सीहोर, में उपलब्ध विशेषज्ञों (मनोचिकित्सक, वाक श्रवण विशेषज्ञ तथा चिकित्सा मनोवैज्ञानिक) के लिए उचित तिथियाँ निश्चित करने का कष्ट करें जिससे हम अपने विशेषज्ञों को आपके जिले में यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग कर सकें।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए (मो. 9425946471) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

सधन्यवाद

संलग्न: उपरोक्तानुसार

  
भवदीय

डॉ नरेंद्र कुमार  
निदेशक, सी आर सी भोपाल

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, रा.मा.स्वा.पु.सं., सीहोर

सन्दर्भ संख्या : CRC-B/III-2(O)(ii)/UDID/20259E-46547)/ 630

दिनांक : 23.02.2026

प्रति

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला : इंदौर (म.प्र.)

विषय : - यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने बाबत

महोदय,

कृपया दिनांक 11 फरवरी 2026 को आपको भेजे गए ई-मेल का अवलोकन करें जिसमें आपके जिले में संबंधित दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित पत्र भी जारी किए हैं :

1. डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ. मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र (प्रति संलग्न)।
2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र दिनांक 27 जनवरी 2026 (प्रति संलग्न)
3. आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 02 फरवरी 2026 (प्रति संलग्न)

हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि संलग्न पत्रों के संदर्भ में आपके जिले में लंबित यूडीआईडी कार्ड के निस्तारण की प्रक्रिया में शीघ्र कार्यवाही करें। संदर्भित पत्रों में आपको आपके जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता को सट्टा करने के लिए समीपस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों की सेवाएँ अथवा निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी सेवाएँ लेने हेतु भी निर्देशित किया गया।

साथ ही आपसे अनुरोध है कि सीआरसी - भोपाल और एनआईएमएचआर - सीहोर, में उपलब्ध विशेषज्ञों (मनोचिकित्सक, वाक श्रवण विशेषज्ञ तथा चिकित्सा मनोवैज्ञानिक) के लिए उचित तिथियाँ निश्चित करने का कष्ट करें जिससे हम अपने विशेषज्ञों को आपके जिले में यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग कर सकें।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए (मो. 9425946471) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

सधन्यवाद

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय

डॉ नरेंद्र कुमार  
निदेशक, सी आर सी भोपाल

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, रा.मा.स्वा.पु.सं., सीहोर

सन्दर्भ संख्या : CRC-B/III-2(O)(ii)/UDID/20259E-46547)/ 636

दिनांक : 23.02.2026

प्रति

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला : खजुरी (म.प्र.)

**विषय : - यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने बाबत**

**महोदय,**

कृपया दिनांक 11 फरवरी 2026 को आपको भेजे गए ई-मेल का अवलोकन करें जिसमें आपके जिले में संबन्धित दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित पत्र भी जारी किए हैं :

1. डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ. मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र (प्रति संलग्न)।
2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र दिनांक 27 जनवरी 2026 (प्रति संलग्न)
3. आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 02 फरवरी 2026 (प्रति संलग्न)

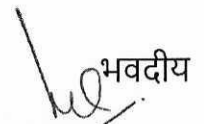
हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि संलग्न पत्रों के संदर्भ में आपके जिले में लंबित यूडीआईडी कार्ड के निस्तारण की प्रक्रिया में शीघ्र कार्यवाही करें। संदर्भित पत्रों में आपको आपके जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता को सट्टा करने के लिए समीपस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों की सेवाएँ अथवा निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी सेवाएँ लेने हेतु भी निर्देशित किया गया।

साथ ही आपसे अनुरोध है कि सीआरसी - भोपाल और एनआईएमएचआर - सीहोर, में उपलब्ध विशेषज्ञों (मनोचिकित्सक, वाक श्रवण विशेषज्ञ तथा चिकित्सा मनोवैज्ञानिक) के लिए उचित तिथियाँ निश्चित करने का कष्ट करें जिससे हम अपने विशेषज्ञों को आपके जिले में यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग कर सकें।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए (मो. 9425946471) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

सधन्यवाद

संलग्न: उपरोक्तानुसार



डॉ नरेंद्र कुमार  
निदेशक, सी आर सी भोपाल

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, रा.मा.स्वा.पु.सं., सीहोर

संदर्भ संख्या : CRC-B/III-2(O)(ii)/UDID/20259E-46547/63)

दिनांक : 23.02.2026

प्रति

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला : झाँझार (म.प्र.)

**विषय : - यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने बाबत**

**महोदय,**

कृपया दिनांक 11 फरवरी 2026 को आपको भेजे गए ई-मेल का अवलोकन करें जिसमें आपके जिले में संबन्धित दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित पत्र भी जारी किए हैं :

1. डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ. मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र (प्रति संलग्न)।
2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र दिनांक 27 जनवरी 2026 (प्रति संलग्न)
3. आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 02 फरवरी 2026 (प्रति संलग्न)

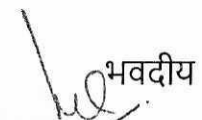
हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि संलग्न पत्रों के संदर्भ में आपके जिले में लंबित यूडीआईडी कार्ड के निस्तारण की प्रक्रिया में शीघ्र कार्यवाही करें। संदर्भित पत्रों में आपको आपके जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता को सटढ़ करने के लिए समीपस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों की सेवाएँ अथवा निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी सेवाएँ लेने हेतु भी निर्देशित किया गया।

साथ ही आपसे अनुरोध है कि सीआरसी - भोपाल और एनआईएमएचआर - सीहोर, में उपलब्ध विशेषज्ञों (मनोचिकित्सक, वाक श्रवण विशेषज्ञ तथा चिकित्सा मनोवैज्ञानिक) के लिए उचित तिथियाँ निश्चित करने का कष्ट करें जिससे हम अपने विशेषज्ञों को आपके जिले में यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग कर सकें।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए (मो. 9425946471) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

सधन्यवाद

संलग्न: उपरोक्तानुसार



डॉ नरेंद्र कुमार  
निदेशक, सी आर सी भोपाल

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, रा.मा.स्वा.पु.सं., सीहोर

सन्दर्भ संख्या : CRC-B/III-2(O)(ii)/UDID/20259E-46547/ 634

दिनांक : 23.02.2026

प्रति

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

जिला : सिंगरौली (म.प्र.)

**विषय : - यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने बाबत**

**महोदय,**

कृपया दिनांक 11 फरवरी 2026 को आपको भेजे गए ई-मेल का अवलोकन करें जिसमें आपके जिले में संबन्धित दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित पत्र भी जारी किए हैं :

1. डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ. मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र (प्रति संलग्न)।
2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र दिनांक 27 जनवरी 2026 (प्रति संलग्न)
3. आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 02 फरवरी 2026 (प्रति संलग्न)

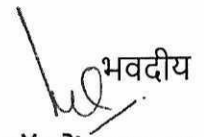
हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि संलग्न पत्रों के संदर्भ में आपके जिले में लंबित यूडीआईडी कार्ड के निस्तारण की प्रक्रिया में शीघ्र कार्यवाही करें। संदर्भित पत्रों में आपको आपके जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता को सटढ़ करने के लिए समीपस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों की सेवाएँ अथवा निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी सेवाएँ लेने हेतु भी निर्देशित किया गया।

साथ ही आपसे अनुरोध है कि सीआरसी - भोपाल और एनआईएमएचआर - सीहोर, में उपलब्ध विशेषज्ञों (मनोचिकित्सक, वाक श्रवण विशेषज्ञ तथा चिकित्सा मनोवैज्ञानिक) के लिए उचित तिथियाँ निश्चित करने का कष्ट करें जिससे हम अपने विशेषज्ञों को आपके जिले में यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग कर सकें।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए (मो. 9425946471) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

सधन्यवाद

संलग्न: उपरोक्तानुसार

  
भवदीय

डॉ नरेंद्र कुमार  
निदेशक, सी आर सी भोपाल

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, रा.मा.स्वा.पु.सं., सीहोर

सन्दर्भ संख्या : CRC-B/III-2(O)(ii)/UDID/20259E-46547)/ 637  
प्रति

दिनांक : 23.02.2026

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला : हतरपुर (म.प्र.)

**विषय : - यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने बाबत**

**महोदय,**

कृपया दिनांक 11 फरवरी 2026 को आपको भेजे गए ई-मेल का अवलोकन करें जिसमें आपके जिले में संबन्धित दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित पत्र भी जारी किए हैं :

1. डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ. मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र (प्रति संलग्न)।
2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र दिनांक 27 जनवरी 2026 (प्रति संलग्न)
3. आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 02 फरवरी 2026 (प्रति संलग्न)

हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि संलग्न पत्रों के संदर्भ में आपके जिले में लंबित यूडीआईडी कार्ड के निस्तारण की प्रक्रिया में शीघ्र कार्यवाही करें। संदर्भित पत्रों में आपको आपके जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता को सट्टा करने के लिए समीपस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों की सेवाएँ अथवा निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी सेवाएँ लेने हेतु भी निर्देशित किया गया।

साथ ही आपसे अनुरोध है कि सीआरसी - भोपाल और एनआईएमएचआर - सीहोर, में उपलब्ध विशेषज्ञों (मनोचिकित्सक, वाक श्रवण विशेषज्ञ तथा चिकित्सा मनोवैज्ञानिक) के लिए उचित तिथियाँ निश्चित करने का कष्ट करें जिससे हम अपने विशेषज्ञों को आपके जिले में यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग कर सकें।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए (मो. 9425946471) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

सधन्यवाद

संलग्न: उपरोक्तानुसार



डॉ नरेंद्र कुमार  
निदेशक, सी आर सी भोपाल

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, रा.मा.स्वा.पु.सं., सीहोर

सन्दर्भ संख्या : CRC-B/III-2(O)(ii)/UDID/20259E-46547/ 635  
प्रति

दिनांक : 23.02.2026

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला : राजगढ़ (म.प्र.)

**विषय : - यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने बाबत**

**महोदय,**

कृपया दिनांक 11 फरवरी 2026 को आपको भेजे गए ई-मेल का अवलोकन करें जिसमें आपके जिले में संबन्धित दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित पत्र भी जारी किए हैं :

1. डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ. मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र (प्रति संलग्न)।
2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र दिनांक 27 जनवरी 2026 (प्रति संलग्न)
3. आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 02 फरवरी 2026 (प्रति संलग्न)

हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि संलग्न पत्रों के संदर्भ में आपके जिले में लंबित यूडीआईडी कार्ड के निस्तारण की प्रक्रिया में शीघ्र कार्यवाही करें। संदर्भित पत्रों में आपको आपके जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता को सट्टा करने के लिए समीपस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों की सेवाएँ अथवा निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी सेवाएँ लेने हेतु भी निर्देशित किया गया।

साथ ही आपसे अनुरोध है कि सीआरसी - भोपाल और एनआईएमएचआर - सीहोर, में उपलब्ध विशेषज्ञों (मनोचिकित्सक, वाक श्रवण विशेषज्ञ तथा चिकित्सा मनोवैज्ञानिक) के लिए उचित तिथियाँ निश्चित करने का कष्ट करें जिससे हम अपने विशेषज्ञों को आपके जिले में यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग कर सकें।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए (मो. 9425946471) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

सधन्यवाद

संलग्न: उपरोक्तानुसार

भवदीय

डॉ नरेंद्र कुमार  
निदेशक, सी आर सी भोपाल

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, रा.मा.स्वा.पु.सं., सीहोर

सन्दर्भ संख्या : CRC-B/III-2(O)(ii)/UDID/20259E-46547)/ 633  
प्रति

दिनांक : 23.02.2026

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला : बिदिश्वा (म.प्र.)

विषय : - यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने बाबत

महोदय,

कृपया दिनांक 11 फरवरी 2026 को आपको भेजे गए ई-मेल का अवलोकन करें जिसमें आपके जिले में संबन्धित दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों को निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित पत्र भी जारी किए हैं :

1. डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ. मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र (प्रति संलग्न)।
2. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन को लिखित पत्र दिनांक 27 जनवरी 2026 (प्रति संलग्न)
3. आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 02 फरवरी 2026 (प्रति संलग्न)

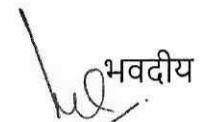
हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि संलग्न पत्रों के संदर्भ में आपके जिले में लंबित यूडीआईडी कार्ड के निस्तारण की प्रक्रिया में शीघ्र कार्यवाही करें। संदर्भित पत्रों में आपको आपके जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता को सट्टा करने के लिए समीपस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों की सेवाएँ अथवा निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी सेवाएँ लेने हेतु भी निर्देशित किया गया।

साथ ही आपसे अनुरोध है कि सीआरसी - भोपाल और एनआईएमएचआर - सीहोर, में उपलब्ध विशेषज्ञों (मनोचिकित्सक, वाक श्रवण विशेषज्ञ तथा चिकित्सा मनोवैज्ञानिक) के लिए उचित तिथियाँ निश्चित करने का कष्ट करें जिससे हम अपने विशेषज्ञों को आपके जिले में यूडीआईडी कार्ड के लंबित प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग कर सकें।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए (मो. 9425946471) पर भी संपर्क कर सकते हैं।

सधन्यवाद

संलग्न: उपरोक्तानुसार



डॉ नरेंद्र कुमार  
निदेशक, सी आर सी भोपाल

प्रतिलिपि:

1. निदेशक, रा.मा.स्वा.पु.सं., सीहोर